

(ख) जाधोरा में मौजूदा एक्सचेंज के स्थान पर 200 लाइनों का स्वचालित एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है। इसका संस्थापन कार्य अबस्त, 1970 में आरम्भ हुआ था। लोहे का कार्य, केबिल बिछाना और तार लगाने का काम पूरा हो गया है।

(ग) अक्टूबर, 1971 तक

(घ) जी हां।

(ङ) आशा है कि इस संस्थापन के चालू हो जाने से प्रतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था की जा सकेगी।

रतलाम जिले (मध्य प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र खोला जाना

2333. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में ताल, बडावडा, सनखेडा और रिगनौड जैसे बड़े शहरों में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की जनता द्वारा बराबर मांग की जा रही है

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त शहरों में टेलीफोन केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती मन्दन बहुगुणा) : (क) इन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा दिये जाने के लिए जनता की मांग बरकरार है।

(ख) आवश्यकता का सर्वेक्षण करने के बाद और आय.व्यय का हिसाब लगा लेने पर प्रत्येक मामले में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

1. ताल : एक सार्वजनिक टेलीफोन घर की मंजूरी दे दी गई है। अलबस्ता ए०सी० ए०ए० तार की भारी कमी है। इस तार की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया जायेगा।

2. बडावडा : सही नाम रतलाम जिले में बडावडा जान पड़ता है। यहां के लिए एक सार्वजनिक टेलीफोन घर की मंजूरी दे दी गई है। अलबस्ता ए०सी०ए०ए० तार की भारी कमी है। उ्योंही इस तार की सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा, सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया जायेगा।

3. सनखेडा : सही नाम सुखेडा जान पड़ता है यहां सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना लाभकारी नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को यह बता दिया गया है कि यदि कोई पार्टी किराया और गारंटी के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खुलवाना चाहे तो यह खोला जा सकता है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. रिगनौड : 1-11-70 को एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला गया था। इस समय इस स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का औचित्य नहीं है।

(ग) इस समय उपयुक्त स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए पर्याप्त मांग और औचित्य नहीं है। मांग में पर्याप्त वृद्धि होने और योजनाओं के लाभकर होने पर यथाशीघ्र टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिये जायेंगे।

मन्दसौर और रतलाम जिलों (मध्य प्रदेश) में डाक और तार घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये स्थान

2334. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सकिल में उन स्थान के नाम क्या हैं जहां डाक और तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज समुचित इमारतों में स्थित नहीं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप न केवल जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़े